



सत्यमेव जयते



IN-UK25069809517986W

INDIA NON JUDICIAL

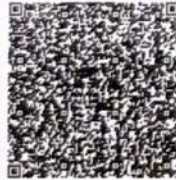
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK25069809517986W
Certificate Issued Date : 07-Jun-2024 12:17 PM
Account Reference : NONACC (SV)/ uk1207204/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK120720456945858741971W
Purchased by : SMT DEEPIKA RAINA
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description : NA
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : SMT BABITA JAIN
Second Party : SMT DEEPIKA RAINA
Stamp Duty Paid By : SMT DEEPIKA RAINA
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(One Hundred only)

सत्यमेव जयते

₹100



KULDEEP KUMAR SHARMA
STAMP VENDOR DEHRADUN

Please write or type below this line



Babita Jain



Deepika Raina

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority



Scanned with OKEN Scanner

विक्रय अनुबन्ध पत्र

श्रीमती बबीता जैन पत्नी श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन, निवासी-34 मोती बाजार, देहरादून। (जिन्हे कि इस अनुबन्ध पत्र मे प्रथमपक्ष/विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है)। (Pan No- AGOPJ9848F)

..... प्रथम पक्ष / विक्रेता

एवम्

श्रीमती दीपिका रैना पत्नी श्री रोहित सिंह नेगी निवासी- हिम्मतपुर, बेल पढड़ाओ बैल पोखण्डा नैनीताल उत्तराखण्ड।

(आधार न0-4461 6270 8066)

(जिन्हे कि इस अनुबन्ध पत्र मे द्वितीयपक्ष / क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है)

..... द्वितीय पक्ष / क्रेता

विदित हो कि प्रथम पक्ष सूची में वर्णित सम्पत्ति की एकमात्र मालिक, स्वामी व काबिज है। प्रथमपक्ष ने सूची मे वर्णित सम्पत्ति उसके पूर्व स्वामी कुमारी खुशबू पुत्री श्री अजय कुमार निवासी-सी- 211 एन0सी0आर0 रेजीडेंसी वैस्ट कैनाल रोड, 10एम0एस0 रोड जिला देहरादून से क्रय की थी जो कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून मे बही स0-1 जिल्द 1769 के पृष्ठ 325 से 348 पर प्रलेख न0-4017 पर दिनांक 03.08.2017 को विधिवत दर्ज व पंजीकृत है। जिस कारण प्रथमपक्ष को सूची मे वर्णित सम्पत्ति को विक्रय करने, विक्रय अनुबन्ध पत्र, विक्रय हस्तान्तरण आदि करने के समस्त अधिकार प्राप्त है। प्रथमपक्ष उक्त सम्पत्ति को विक्रय करना चाहती है तथा द्वितीय पक्ष क्रय करना चाहती है, जिसके सम्बन्ध मे पक्षकारों में निम्न वर्णित सम्पत्ति का बिना किसी जोर- दबाव आपसी सहमति से उक्त वर्णित सम्पत्ति का अनुबन्ध पत्र तय पाया गया है जिसमें निम्नलिखित शर्तें तय पायी गयी है जिसके पाबंद पक्षकार उनके उत्तराधिकारी, वारिसान एव प्रतिनिधि आदि समान रूप से रहेगे।



Babita Jain

1. यह कि सूची में वर्णित सम्पत्ति का कुल सौदा मु0- 47,00,000/- रुपये (सैंतालीस लाख रुपये) में दोनों पक्षगणों के बीच तय पाया गया है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को बतौर धनराशि के रूप में मु0-1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) द्वारा बैंक से0-NEFT/HS92415946374319 दिनांकित 07.06.2024 अदा कर दिये हैं, जिसकी नकद प्राप्ति प्रथमपक्ष समक्ष गवाहान स्वीकार करता है, शेष धनराशि बैनामे के समय अदा की जायेगी।
3. यह कि सूची में वर्णित सम्पत्ति के बैनामे की तिथि आज दिनांक 07.06.2024 से दिनांक 30.06.2024 तक तय पायी गयी है जो आपसी सहमति से घटाया-बढ़ाया जा सकती है।
4. यह कि सूची में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, विक्रय जमानत, कर्जों, विवादों आदि से पूर्णतया पाक व साफ है तथा प्रथम पक्ष को सूची में वर्णित सम्पत्ति को विक्रय करने, अन्तरण करने, आदि के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।
5. यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह सूची में वर्णित सम्पत्ति का विक्रय पत्र अपने नाम पर अंकित कराये या अपने मनोनीत व्यक्ति/व्यक्तियों के हक में अंकित कराये, इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
6. यह कि सूची में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी कमी पाई गई या रहन रखी पाई गई या किसी को विक्रय की गई पाई गई तो वह द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह फौजदारी न्यायालय व सिविल न्यायालय में वाद योजित कर सकता है इसमें प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
7. यह कि सूची में वर्णित सम्पत्ति इस समय हर प्रकार के ऋण, भार, बन्धन आदि से पूर्णतया पाक व साफ है तथा पाक व साफ दशा में द्वितीय पक्ष के हक में या उसके मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों के हक में विक्रय की जायेगी।
8. यह कि यदि विक्रय पत्र हेतु नियत तिथि को अधिवक्तागण की हड़ताल या अवकाश रहता है तो ऐसी दशा में अगले कार्य दिवस में ही विक्रय पत्र सम्पन्न कराया जायेगा।



Babila Jain

[Signature]

- 9 यह कि विक्रय पत्र सम्पादन कराने का खर्चा द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
- 10 यह कि सूची में वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा बैनामे के समय दिया व लिया जायेगा।
- 11 यह कि प्रथम पक्ष सूची में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति से कोई अनुबन्ध नहीं करेगा समय बैनामे तक अनुबन्धित सम्पत्ति को हर प्रकार से पाक व साफ अवस्था में रखेगा और पाक व साफ अवस्था में ही बैनामा करेगा।
- 12 यह कि यदि उक्त सम्पत्ति की रजिस्ट्री प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष के हक में नहीं करा पाता है तो द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह बजरिये न्यायालय अपने हक/अपने मनोनीत व्यक्तियों के पक्ष में सूची में वर्णित सम्पत्ति का बैनामा सम्पादित करवा लेवे।
- 13 यह कि सूची में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में पक्षकारों के हित प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न आदि भी शामिल हैं और सदैव शामिल समझे जायेंगे।



विवरण अनुबन्धित सम्पत्ति

भूतल पर स्थित आवासीय सम्पत्ति, भाग सम्पत्ति खाता स0-2308 (1416 से 1421 फसली) भाग खसरा स0-313 ज, (पुराना न0-191) कुल क्षेत्रफल 93.96 वर्गमीटर (सम्पूर्ण निर्मित) स्थित मौजा निरंजनपुर परगना पछवाढून, जिला देहरादून, जिसकी सीमाये निम्न प्रकार है :-

पूरब में	-	सम्पत्ति अन्य, सीमा में नाप-26 फीट
पश्चिम में	-	7.62 मीटर चौड़ा सड़क, सीमा में नाप-26 फीट
उत्तर में	-	भूमि संगीता रानी, सीमा में नाप-71 फीट 6 इंच
दक्षिण में	-	सम्पत्ति श्री सुरेन्द्र सिंह राणा, सीमा में नाप-71 फीट 4 इंच

Babita Jain

[Signature]

अतः यह अनुबन्ध विक्रय पत्र आज दिनांक 07.06.2024 को स्थान देहरादून
मे समक्ष गवाहान अंकित किया गया है ताकि सनद रहे और समय पर काम आवें।

Babita Jain

प्रथम पक्ष/विक्रेता

[Signature]

द्वितीयपक्ष/क्रेता



गवाह 1. P.K. Jain
Rushpendra Kumar Jain
9897002816

गवाह 2. [Signature]
महेश सिंह विष्ट
8476800111

[Signature]
Sivanshu

ATTESTED 7/6/24
RAJENDER SINGH NEGI
Advocate & NOTARY
Chamber No 92, 1st Floor
Opposite Bar Office
Collectorate Court Compound
Dehradun (Uttarakhand)